भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद Indian Council of Medical Research

फा. सं. 20/1/2001-हिन्दी

दिनांक: 08.09.2021

कार्यालय आदेश/Office Order

यह देखा गया है कि परिषद मुख्यालय के कुछ प्रभागों/अनुभागों -विशेष रूप से प्रशासन-। एवं ।। तथा कार्मिक अनुभाग के अधिकारियों द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। It has been observed that the officers of certain Divisions/Sections of the Council Hqrs. especially Administration-I, II, and Personnel Section are not being fully complied for the Section 3(3) of the O. L. Act 1963.

रा.भा. नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी/व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि वह दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किया गया है, निष्पादित किया गया है या जारी किया गया है। As Rule-6 of O.L. Rules, 1976, It is the responsibility of the officer/person signing such documents falling under section 3(3) of the said Act to ensure that such documents are made, executed or issued both in Hindi and in English.

अतः उक्त नियम का पूरी तरह से अनुपालन किया जाए। इसका अनुपालन न होने पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। Therefore, the above Rule should be fully complied. If this is not followed, appropriate action can be taken.

यह भी निदेश दिया जाता है कि सभी दस्तावेज दोनों भाषाओं में परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करवाए जाए। वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज हिंदी में अनुवादित होने चाहिए और हिंदी अनुभाग द्वारा बिना विलंभ किए वेबसाइट पर अपलोड करवाया जाए। It is also directed that all document should be uploaded on the website of the Council in both the languages. All uploaded documents on website should be translated in Hindi and uploaded on website without any time lag by Hindi cell.

(राजीव रॉय)

वरि. वित्त सलाहकार एवं वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)

वितरण:

- 1. परिषद मुख्यालय के सभी सेवा वर्गों के अधिकारी
- 2. सभी प्रभाग/अनुभाग
- 3. डॉ. एल. के. शर्मा, वैज्ञानिक-'ई' आई सी एमआर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्